30/3/21

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। बावजूद तामिल अनु0 रहने से अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली में बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि राजस्व ग्राम श्यामनगर खसरा संख्या 266 रकबा 1.27 हेक्टेयर की खातेदारी में प्रार्थी के पिता बिडदा की वल्दियत सुखा गलत दर्ज है। जबकि प्रार्थी के दादा का सही नाम तुला है। प्रार्थी के पिता को उक्त भूमि भूमि आवंटन नियमों के तहत जरिये आवंटन प्राप्त हुई है। पत्रावली के साथ संलग्न आवंटन आदेश क्रमांक 564–65/आर.ए दिनांक 16.7.71 में क्रम संख्या 55 पर बिडदूराम पुत्र तुलाराम को गत खसरा नंबर 1042 में से 5 बीघा भूमि का आवंटन आदेश संलग्न है। गत खसरा नबंर 1042 से ही हाल खसरा नंबर 266 बने हैं। अतः सिद्ध है कि वरवक्त आवंटन प्रार्थी के पिता की वल्दियत/ दादा का नाम तुलाराम आवंटन आदेश में सही अंकित था परंतु उक्त आवंटन आदेश का जरिये नामांतकरण संख्या 209 राजस्व रिकार्ड में अमल दरामत करते समय प्रार्थी के पिता की वल्दियत/दादा का नाम तुलाराम के स्थान पर सुखा अंकित कर दिया जो कि गलत है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में सरपंच ग्राम पंचायत पुरानाबास का प्रमाण पत्र, मृतक खातेदार बिडदाराम का मृत्यु प्रमाण पत्र, आवंटन आदेश 10.7.1971, नामान्तरकरण संख्या 209 की प्रतियां प्रस्तुत की है। जिनमें प्रार्थी के पिता बिडदाराम के पिता का नाम तुलाराम अंकित है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में बतौर साक्ष्य स्वयं का लिखित एवं नोटेरी से तस्दीकशुदा शपथ पत्र व बतौर गवाह नरसा पुत्र जोरू का लिखित एवं नोटेरी से तस्दीकशुदा शपथ पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र दुरूस्ती स्वीकार किया जाना उचित है।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के मामा का नाम बिडदा पुत्र सुखा गलत दर्ज है। जबकि सहीं प्रविष्टी बिडदा पुत्र तुला की पुष्टि सरपंच ग्राम पंचायत पुरानाबास के प्रमाण पत्र, मृतक खातेदार बिडदाराम के मृत्यु प्रमाण पत्र, आवंटन आदेश 10.7.1971 से होती है। साथ ही प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि स्वयं के लिखित एवं नोटेरी से तस्दीकशुदा शपथ पत्र व बतौर गवाह नरसा पुत्र जोरू के लिखित एवं नोटेरी से तस्दीकशुदा शपथ पत्रों से भी होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

प्रा0 पत्र0 435/2016
निर्णय दिनांक 30.09.2022

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा निम्नानुसार दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैः–

राजस्व ग्राम	भूमि का विवरण	वर्तमान प्रविष्टि	अमल दरामद की जाने वाली प्रविष्टि
श्यामनगर	खसरा संख्या 266 रकबा 1.27 हेक्टे.	बिडदा पुत्र सुखा	बिडदा पुत्र तुला

शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। पत्रावली बाद फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।